पत्र सं0–7/स्थापना (व्यय)–आवंटन–25/2022–91(7)ब/

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

/स्वा0,राँची,दिनांक :05-01-2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 के व्यय हेतु मांग संख्या–20 स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2211– परिवार कल्याण 103– मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य 01 – मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य के अन्तर्गत कुल ₹ 50,17,500/– (पचास लाख सत्रह हजार पाँच सौ) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2211– परिवार कल्याण के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न Online विवरणी के अनुसार आवंटन संसूचित किया जाता है:–

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या–20/2211– परिवार कल्याण	103– मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	01 मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	₹ 50,17,500/– (पचास लाख सत्रह हजार पाँच सौ)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98, 1800(वि) दिनांक 15.07.2003 एवं 1681/वि0 दिनांक 10.06.15 के आलोक में होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (संलग्न विवरणी के अनुसार) होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगें। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगें किविपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी केन्द्रवार अगले माह सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

04.01.2023 — 9.1.23

(शिवजी वर्मा) सरकार के अवर सचिव	(ध्रुव प्रसाद) सरकार के उप सचिव	(अरूण कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

कृ0पृ0उ0

Establishment Expenditure 2022-23

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्त्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या– 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित विभाग के पत्र संख्या– 3558/वि० दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी समानुपातिक रूप से उनके जिले के अन्तर्गत सभी केन्द्रों के लिए व्यय करेंगे।

13. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

14. सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्र से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के संबंध में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के **COBT – Form 3A** में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः **COBT – Form 3A** के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा **Form 3A** में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

i) सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी पदाधिकारी से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन की निकासी करेंगे।

ii) प्रत्येक माह का विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक वेतन विपत्र कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतन की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि **Ghost Employee**/अवैध रूप से नियुक्त कर्मी के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

iv) संविदा पर नियुक्त ए०एन०एम० जो विधिवत प्रक्रिया अपनाकर नियुक्त हुए हों, को संविदा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। गलत निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

v) संविदा पर नियुक्त ए०एन०एम० हेतु राशि आवंटित की जा रही है। संविदा पर नियुक्त ए०एन०एम० के संविदा भत्ता का भुगतान अवधि विस्तार की तिथि तक ही किया जाय। अवधि विस्तार के उपरान्त ही शेष संविदा भत्ता की राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाय।

91(7) ब
05-01-2023

vi) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

(शिवजी वर्मा)	(ध्रुव प्रसाद)	(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव	सरकार के उप सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ० पृ० उ०

16. मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्र के आवंटन के संबंध में सभी पत्राचार संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य ईकाइयों द्वारा विभाग से इस विषय पर सीधे पत्राचार नहीं किया जायेगा।

17. प्रत्येक माह आवंटित राशि के विरूद्ध की गई निकासी की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

18. सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्र (संलग्न परिशिष्ट के अनुसार) का इस आवंटनादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई निर्देशित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7/स्थापना (व्यय)–आवंटन–25/2022 - 91(7) व /स्वा0,राँची,दिनांक– 05-01-2023

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7/स्थापना (व्यय)–आवंटन–25/2022 - 91(7) व /स्वा0,राँची,दिनांक– 05-01-2023

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04-01-2023

(शिवजी वर्मा) सरकार के अवर सचिव	(ध्रुव प्रसाद) सरकार के उप सचिव	(अरूण कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्र0	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	53307000	5000000	58307000
2	वर्दी	17500	17500	35000
	कुल	53324500	5017500	58342000

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22110010301000101	5000000
2	वर्दी	20S22110010301000334	17500
	कुल आवंटित राशि		5017500

कुल ₹ 50,17,500/– (पचास लाख सत्रह हजार पाँच सौ)।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रम सं0	जिला का नाम	वेतन	वर्दी	कुल योग
1	Chatra	300000	0	300000
2	Deoghar	294900	0	294900
3	Dumka	300000	0	300000
4	Giridih	295865	2500	298365
5	Godda	1172000	5000	1177000
6	Gumla	0	2500	2500
7	Hazaribagh	485000	2500	487500
8	Khunti	53300	0	53300
9	Pakur	300000	2500	302500
10	Ranchi	1798935	0	1798935
11	Simdega	0	2500	2500
	Grand Total	**5000000**	**17500**	**5017500**

91(7) व
05-01-2023

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(ध्रुव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2211 - परिवार कल्याण & 103 - मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य & 01 - मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22110010301000101	20S22110010301000334	Total
					वेतन	वर्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chatra	CTRMED005	Dr Shyam Nandan Singh	A.C.M.O. Chatra	₹3,00,000.00 (72692)	₹0.00	₹3,00,000.00
2	Deoghar	DGRMEDE30	Chandra Kishor Shahi	A.C.M.O. Deoghar	₹2,94,900.00 (72695)	₹0.00	₹2,94,900.00
3	Dumka	DMKMED186	Dr. Anand Mohan Soren	A.C.M.O,Dumka	₹3,00,000.00 (72696)	₹0.00	₹3,00,000.00
4	Giridih	GRDMED002	Dr. Shiva Prasad Mishra	Add. C.M.O. Giridih	₹2,95,865.00 (72697)	₹2,500.00 (72706)	₹2,98,365.00
5	Godda	GDDMED002	Nirmala Besra	A.C M.O Godda	₹11,72,000.00 (72698)	₹5,000.00 (72708)	₹11,77,000.00
6	Hazaribagh	HZBFMW003	Dr.Shashi Jaiswal	Add Chief Med Off Hzb	₹4,85,000.00 (72699)	₹2,500.00 (72710)	₹4,87,500.00
7	Khunti	KHNMEDL26	Dr. Rajni Neelam Toppo	A.C.M.O.Khunti	₹53,300.00 (72702)	₹0.00	₹53,300.00
8	Pakur	PKRMED021	Dr Arvind Kumar	A.C.M.O.Pakur.	₹3,00,000.00 (72703)	₹2,500.00 (72711)	₹3,02,500.00
9	Ranchi	RNCMED053	Vinod Kumar	A.C.M.O.Ranchi	₹17,98,935.00 (72704)	₹0.00	₹17,98,935.00
10	Gumla	GMLMED002	Dr. Pramod Kumar Sinha	A.C.M.O Gumla	₹0.00	₹2,500.00 (72709)	₹2,500.00
11	Simdega	SDGFMW036	Nawal Kumar	A.C.M.O.Simdega	₹0.00	₹2,500.00 (72712)	₹2,500.00

कुल आवंटित राशि :- ₹50,17,500.00 (पचास लाख स त्र ह हजार पॉच सौ) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

91(7) ब
05-01-2023

(ARUN KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY